

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक:


01 AUG 2020

-: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में 05 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों— महाराणा प्रताप महाविद्यालय—रावतभाटा (चित्तोड़गढ़), शहीद रूपाजी कृपाजी महाविद्यालय—बेंगू (चित्तोड़गढ़), भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय—नैनवा (बूंदी), आईमाता महाविद्यालय—सोजतसिटी (पाली), श्री प्रेमसिंह सिंघवी महाविद्यालय—छीपाबडोद (बारा) एवं 04 निजी महाविद्यालयों— मीरा कन्या महाविद्यालय—सांगरिया, ज्ञान ज्योति महाविद्यालय—करणपुर, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय—रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) एवं बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय—भिवाडी (अलवर) को राज्याधीन किए जाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2020 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरणुसार राज्याधीन किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश एवं शर्तें पृथक से प्रसारित की जायेंगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102002922 दिनांक 31.07.2020 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(शशि माथुर)

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली क्रमांक एफ4(162-11)विधि/आयो/आकाशि/2015-16 मय नोटशीट के।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय (राजस्थान) द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि इन महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया राज्य नियमों के अनुसार संपादित करें द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ4(162-II)/विधि/आयो/आकाशि/2015-16/1079

दिनांक: 07 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर/जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
12. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त 09 महाविद्यालयों में प्रवेश नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करवाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
15. अध्यक्ष, संबंधित प्रबन्ध समिति, स्ववित्तपोषित/निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
16. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

( डॉ. दीपाली भार्गव )

संयुक्त निदेशक, आयोजना,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।